स्थायी वित्त निर्देश 11/2025

# छत्तीसगढ़ शासन
## वित्त विभाग
## मंत्रालय
## महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 787/एफ 2025-04-0314/ब–4 (सम.)/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 4/3/2025

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

**विषयः– शासन के विभिन्न विभागों, उपक्रमों, मंडलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं के विज्ञापन,मुद्रण एवं प्रचार–प्रसार संबंधी कार्य छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से कराये जाने बाबत।**

––0––

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 195/192/2001/1/5 दिनांक 21.8.2001 तथा मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ. के ज्ञापन क्रमांक/मु.स.का./8059 दिनांक 30.1.2018 एवं क्रमांक 864/मु.स.का./2019 दिनांक 10.10.2019 में मुख्यतः यह निर्देश दिये गये हैं कि शासन के समस्त विभाग, उपक्रम, निगम, मंडल, विश्वविद्यालय, आयोग एवं अर्द्धशासकीय संस्थाएं अपनी उपलब्धियों योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर आधारित विज्ञापन राज्य शासन के जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था "छत्तीसगढ़ संवाद" (जो रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी एक्ट के अंतर्गत पजीकृत संस्था है) के माध्यम से अनिवार्यतः जारी कराने के निर्देश हैं। साथ–ही सभी तरह के प्रकाशन, प्रचार सामग्री, पुस्तिका एवं पुस्तकों का मुद्रण, विज्ञापन, होर्डिंग्स एवं प्रचार–प्रसार सामग्रियों के डिजाईन, फिल्म तथा वृत्तचित्रों का निर्माण आदि कार्य भी छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से ही करवाए जाने के निर्देश हैं ताकि समस्त कार्य राज्य शासन की मंशा तथा लिए गए निर्णयों के अनुरूप हो। उपरोक्त परिपत्र एवं निर्देशों की प्रतिलिपियां संलग्न है।

2. **शासन के ध्यान में आया है कि कतिपय संस्थाओं द्वारा छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से उपरोक्त अनुसार कार्य नहीं कराये जा रहे हैं, जो कि शासकीय निर्देशों के अनुरूप नहीं है।**

3. यह सुस्पष्ट है कि राज्य शासन के मंशानुसार शासन के विभिन्न विभागों, उपक्रमों मंडलों व अर्द्धशासकीय संस्थाओं के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों के विज्ञापन डिजाईन कर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आउटडोर मीडिया एवं अन्य विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार का कार्य छत्तीसगढ़ संवाद से ही कराया जाना है, जिससे कार्यो में गुणवत्ता एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।

4. यदि उपरोक्त कार्यों को करने हेतु छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा किन्हीं कारणवश असमर्थ है, तो छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना कोई भी विभाग, निगम, मण्डल एवं अर्द्धशासकीय संस्थाएं उक्त कार्यों को अन्यत्र से नहीं कराया जाये।

5. विभागों द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों के विज्ञापन डिजाईन कर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आउटडोर मीडिया एवं अन्य विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार का कार्य छत्तीसगढ़ संवाद से न कराया जाकर अन्य संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है, तो बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के उन देयकों का भुगतान कोषालयों से नहीं किया जाये।

6. अतः विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों के विज्ञापन डिजाईन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आउटडोर मीडिया एवं अन्य विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार के कार्यो के देयकों का भुगतान किये जाने के संबंध में विभागों, उपक्रमों, मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं में, जहां **छत्तीसगढ़ राज्य वित्त संवर्ग/ छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा संवर्ग के अधिकारी पदस्थ हों, को तथा राज्य के समस्त कोषालय अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:–**

(1) छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से कराये कार्यो का नियमानुसार भुगतान किया जाये।

(2) विभागों द्वारा उक्त कार्य यदि छत्तीसगढ़ संवाद से नहीं कराये गये हों, तो छत्तीसगढ़ संवाद की अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना उन देयकों का भुगतान न किया जाये।

(3) उक्त निर्देशों के पालन नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

7. **विभागों से अपेक्षा है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा अधीनस्थ कार्यालयों और शासकीय नियंत्रणाधीन निगमों, मंडलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं के लिए विभागीय स्तर से भी यथावश्यक निर्देश जारी किया जायेगा। विभागों को परामर्श दिया जाता है कि शासकीय निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करें।**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मुकेश कुमार बंसल)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 788 / एफ 2025-09-00545 ब–4 (सम.) / चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 4 / 3 / 2025

**प्रतिलिपिः–**

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग नवा रायपुर अटल नगर / रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9. सचिव, वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव / अपर सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखाएँ वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
15. संचालक, कोष एवं लेखा / पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
16. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
17. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
18. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
19. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती कोषालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर.
20. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
21. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
22. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
23. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
24. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

– को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

25. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की बेबसाइट finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु

(राजीव कुमार झाड़े)
अवर सचिव

संवाद
9/8/2001

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
ठाकुर कल्याण सिंह भवन, रायपुर-492001

क्रमांक: 195/192/2001/1/5 रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2001

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव,
2. प्रमुख सचिव/सचिव,
   छत्तीसगढ़ शासन,
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
4. समस्त संभागायुक्त,
5. समस्त कलेक्टर,
   छत्तीसगढ़ ।

स्टेनो. आ.क्र.954 दि.1.9.01

विषयः- शासन के प्रचार-प्रसार संबंधी कार्य छत्तीसगढ़ संवाद से कराये जाने बाबत् ।

राज्य शासन द्वारा जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था के रूप में रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसाइटी के अन्तर्गत "छत्तीसगढ़ संवाद" का गठन किया गया है । "छत्तीसगढ़ संवाद" के गठन का उद्देश्य यह है कि इसके जरिये शासन के विभाग, उपक्रम, निगम, मंडल एवं अर्धशासकीय संस्थाएं विज्ञापन जारी कर सकें । "संवाद" ही विज्ञापन डिजाईन कर उन्हें पत्र-पत्रिकाओं, इलेक्ट्रानिक माध्यमों में प्रकाशित कराने की व्यवस्था करेगा । साथ ही संवाद फिल्म तथा वृत्तचित्रों का निर्माण, वेबसाईट निर्माण तथा प्रचार-प्रसार संबंधी सामग्री भी तैयार करेगा ।

2/ शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य द्वारा वित्त पोषित समस्त शासकीय, अर्धशासकीय संस्थाओं को अपनी प्रचार सामग्री "छत्तीसगढ़ संवाद" से तैयार कराना अनिवार्य होगा । संस्था विभिन्न विभागों, अर्द्ध-शासकीय संस्थाओं के लिए मुद्रण व प्रकाशन का कार्य करेगी । इन प्रयासों के एवज में राज्य शासन ने लागत के अतिरिक्त 10 प्रतिशत सेवा शुल्क तय किया है । यदि "छत्तीसगढ़ संवाद" द्वारा उक्त कार्य करने की स्थिति नहीं होगी तो उसके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा । अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना कोई भी विभाग, निगम, मंडल एवं अर्धशासकीय संस्थाएं

निरंतर... 2..

विज्ञापन प्रकाशन का कोई भी कार्य बाहर से नहीं करा सकेंगी ।

3/ यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

(पी. सी. सूर्य)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक: 196/192/2001/1/5 रायपुर, दि० 21 अगस्त

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर.
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर.
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर.
4. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर.
5. आयुक्त, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़, रायपुर.
6. रजिस्ट्रार, मंत्रालय रायपुर.
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना/अधीक्षण) मुख्यलेखाधिकारी.
8. माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव/समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव.
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, रायपुर.

(पी. सी. सूर्य)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मुख्य सचिव कार्यालय
छत्तीसगढ़ शासन
महानदी भवन,
मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक /मु.स.का./ 8059 नया रायपुर, दिनांक 30/ 01/2018

प्रति,

समस्त
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव/
संयुक्त सचिव/जिला कलेक्टर,

विषयः– शासन के विभिन्न विभागों, उपक्रमों मण्डलों, अर्द्धशासकीय संस्थाओं के विज्ञापन मुद्रण एवं प्रचार–प्रसार संबंधी कार्य छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से जारी करने बाबत् ।

संदर्भः– 1. अ. शास.पत्र क्र.
(अ) क्र.305/सी.एस/2001 दिनांक 20 मार्च 2001
(ब) क्र.476/सी.एस/2003 दिनांक 27.11.2003
(स) क्र.2386/म.स.का./2006 दिनांक 23.07.2006

2. सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्र.195/192/2001/1/5,दिनांक 21.08.2001
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,छत्तीसगढ़ संवाद का पत्र क्र.2168,दिनांक 22.04.2003
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,छत्तीसगढ़ संवाद का पत्र क्र.3082,दिनांक 21.01.2003

---

उपरोक्त विषय के संबंध में संदर्भित पत्रों में शासन के समस्त विभाग, उपक्रम, निगम, मंडल एवं अर्द्धशासकीय संस्थाएं अपनी उपलब्धियों योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर आधारित विज्ञापन राज्य शासन के जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था "छत्तीसगढ़ संवाद" (जो रजिस्ट्रार,फर्म्स एवं सोसायटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है) के माध्यम से अनिवार्यतः जारी कराने के निर्देश है, साथ ही सभी तरह के प्रकाशन, प्रचार सामग्री, पुस्तिका एवं पुस्तकों का मुद्रण, विज्ञापन, होर्डिंग्स एवं प्रचार–प्रसार सामग्रियों के डिजाईन, फिल्म तथा वृत्तचित्रों का निर्माण आदि कार्य भी छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से ही करवाया जाये, जो राज्य शासन की मंशा तथा उसके द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप हो ।

शासन के ध्यान में आया है कि कतिपय संस्थाओं द्वारा छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से उपरोक्त अनुसार कार्यवाही नहीं कराये जा रहे है, जो शासकीय निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

अतः शासन के समस्त विभाग को पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।

(अजय सिंह) 31/1/18
मुख्य सचिव

D.//Letter 2013-Page 1406

# मुख्य सचिव कार्यालय

## छत्तीसगढ़ शासन
## महानदी भवन
## मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक 8६५ /मु.स.का. /2019 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 /10/2019

प्रति

समस्त

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव /संयुक्त सचिव,

जिला कलेक्टर,

निगम/मण्डल /आयोग एवं विश्वविद्यालय के प्रभारी

छत्तीसगढ़

विषय :– शासन के विभिन्न विभागों, उपकमों, मण्डलों, अर्द्धशासकीय संस्थाओ के विज्ञापन ,मुद्रण एवं प्रचार–प्रसार संबंधी कार्य छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से जारी करने बाबत्।

संदर्भ :– (1) अ. शास. पत्र क.

(अ) क. 305/सी.एस/2001 दिनांक 20 मार्च 2001

(ब) क. 476/सी.एस/2003 दिनांक 27.11.2003

(स) क.2386/मु.स.का./2006 दिनांक 23.07.2006

(2) सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क.195/192/2001/1/5 दिनांक 21.08.2001

(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद का पत्र क.2168 दिनांक 22.04.2003

(4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद का पत्र क.3082 दिनांक 21.01.2006

(5) मु.सचिव कार्या.का पत्र क./मु.स.का./8059 नया रायपुर दिनांक 30.01.20.18

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। शासन के समस्त विभाग, उपकम, निगम, मंडल, विश्वविद्यालय, आयोग एवं अर्द्धशासकीय संस्थाएं अपनी उपलब्धियों योजनाओं तथा कार्यकमों पर आधारित विज्ञापन राज्य शासन के जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था "छत्तीसगढ़ संवाद" (जो रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है) के माध्यम से अनिवार्यतः जारी कराने के निर्देश हैं। साथ ही सभी तरह के प्रकाशन, प्रचार सामग्री, पुस्तिका एवं पुस्तकों का मुद्रण, विज्ञापन, होर्डिंग्स एवं प्रचार–प्रसार सामग्रियों के डिजाईन, फिल्म तथा वृत्तचित्रों का निर्माण आदि कार्य भी छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से ही करवाए जाने के निर्देश हैं, ताकि समस्त कार्य राज्य शासन की मंशा तथा लिए गए निर्णयों के अनुरुप हो।

शासन के ध्यान में आया है कि कतिपय संस्थाओं द्वारा छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से उपरोक्त अनुसार कार्य नहीं कराये जा रहे हैं, जो शासकीय निर्देशों के अनुरुप नहीं है।

अतः शासन के समस्त विभागों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।

(सुनील कुमार कुजूर)
मुख्य सचिव